

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT

श्री विजयपुरम, दिनांक

जून, 2025

अधिसूचना

सं.....फा. सं 2-23 /2020- Rev - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60-ए.एन.एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह एतद्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन उपायुक्त की स्थापना में धारित **सर्वेक्षक** के वर्ग 'ग' पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ - :

- i. इन नियमों को " संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग के सर्वेक्षक की वर्ग 'ग' पद) की भर्ती नियमावली 2025" कहा जाएगा।
- ii. यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:-

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं :-

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें, उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएँ :- कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:-

- क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन

अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:-

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन द्वीपों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन(राजस्व विभाग) के अधीन उपायुक्त की स्थापना में सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	सर्वेक्षक
2.	पद की संख्या	44 (चवालीस)(2025)* *(कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतन स्तर	स्तर-4 (रुपए 25500 – 81100)
5.	चयन पद या गैर चयनपद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष । नोट-I : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी।) नोट -II : आयु-सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वही होगी जो भारत के अन्य स्थानों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा पांगी उपमंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य अर्हताएं : 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा(10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए । 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से क्राफ्टसमेन प्रशिक्षण स्कीम)CTS) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में एक वर्ष या दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र)NTC) धारक होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम)ATS) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र)NAC) धारक होना चाहिए। 3. विभाग या किसी अधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा ।

		वांछनीय : संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कुछ हो।	2 (दो) वर्ष। (सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित के अनुसार न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100% सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	स्थायीकरण के लिए विचार हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. सचिव(राजस्व), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष 2. संबंधित उपायुक्त - सदस्य 3. सहायक सचिव(राजस्व), अ. तथा नि. प्रशासन - सदस्य 4. उप सचिव(कार्मिक) / सहायक सचिव (कार्मिक) - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

अनुसूची का अनुलग्नक

सर्वेक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि के भूभागों को गाँवों में विभाजित करना।
2. खंडम सीमा और छोटे सर्किटस् बनाना ।
3. अवस्थिति का स्केच तैयार करना।
4. 'A' स्केच तैयार करना।
5. गाँव सीमा / खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत प्लॉट के ट्राइजंक्शन के लिए प्लैनिंग और सर्वेक्षण पत्थर लगाना।
6. गाँव सीमा / खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत प्लॉट के ट्राइजंक्शन का चेन द्वारा मापों का अवलोकन करना।
7. थियोडोलाइट द्वारा ट्रवर्स स्टेशन का अवलोकन।
8. 'B' स्केच और 'B' फील्ड बुक तैयार करना।
9. पुत्तल स्केच तैयार करना।
10. फील्ड मेशरमेंट बुक तैयार करना।
11. भूमि रजिस्टर तैयार करना।
12. व्यक्तिगत प्लॉट की क्षेत्रफल का गणना करना ।
13. संबंधित सभी अन्य तकनीकी कार्य।
14. लोक हित में सौंपे गए सभी अन्य कार्य।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/**SECRETARIAT**

NOTIFICATION

Sri Vijaya puram, dated the.....2025

No.....F.No.2-23/2020-Rev-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. 14/3/60-ANL dated 11th April 1960 and in supersession to all previous notifications for the post mentioned below, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' post of **Surveyor** borne in the establishment of Deputy Commissioner under Andaman and Nicobar Administration, namely;

1. Short Title and Commencement:-

- i. These rules may be called the Union Territory of Andaman and Nicobar Administration, (Group 'C' post of '**Surveyor**' of Revenue Department) Recruitment Rules, 2025.
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Scale of Pay: -

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualification:-

The methods of recruitment of the post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

:2:

4. Disqualification: No Person -

- a. Who has entered into or contract of marriage with any person having a spouse living.
- b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this Rules.

5. Power to Relax:-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Savings:-

Nothing in these rules shall effect the reservation, relaxation of age limit and other Concession required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K.Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor (Administrator)
Andaman & Nicobar Islands

By order and in the name of the Lieutenant Governor, A&N Islands

(A.Yesu Raj)
Assistant Secretary (Revenue)

:3:

SCHEDULE

Recruitment Rule for the Post of Surveyor in the establishment of Deputy Commissioner, under Andaman and Nicobar Administration (Revenue Department)

1.	Name of Post	SURVEYOR
2.	No. of Post	44 (Forty Four) (2025) *Subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Pay Level	Level-4 (Rs.25500-81100)
5.	Whether selection post or Non-selection post	Not applicable
6.	Age Limit for Direct Recruitment	18-27 years Note-I : The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-II : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim, Ladakh, J&K, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment	<p>Essential:</p> <p>1. Must have passed Secondary School Examination (10th) from a recognized Institute/Board.</p> <p>2. Should possess a one-year or two-year National Trade Certificate (NTC) under the Craftsmen Training Scheme (CTS) in Surveyor trade from a recognized Institute / Industry / Establishment.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Should possess a National Apprenticeship Certificate (NAC) under the Apprenticeship Training Scheme (ATS) in Surveyor trade from a recognized Institute / Industry / Establishment.</p> <p>3. Should qualify in the competitive examination conducted by the department/or any authorized recruitment agency.</p> <p>Desirable: One year experience in the field.</p>
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	<p>02 (Two) Years</p> <p>(Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.)</p>

10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	100 % by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation, grade from which promotion/deputation to be made.	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is the composition?	The Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation consists of: 1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Respective Deputy Commissioner – Member 3. Assistant Secretary (Revenue), A & N Admn's – Member 4. Deputy Secretary (Perl)/ Assistant Secretary(Perl) - Member
13.	Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

Annexure to Schedule

DUTIES AND RESPONSIBILITY IN RESPECT OF SURVEYOR

1. Dividing tract of land into villagers by following natural boundary.
2. Formation of Khandham boundary and minor circuits.
3. Preparation of location sketch.
4. Preparation of 'A' Sketch.
5. Planning & Survey stone on the V/boundary/khandam boundary minor circuits and trijunction of individual field.
6. Observation of measurements by chain of village boundary khandam boundary minor circuits and trijunction of individual field.
7. Observation of traverse station by theodolite.
8. Preparation of 'B' sketch and 'B' field books.
9. Preparation of puttal sketch.
10. Preparation of filed measurement book.
11. Preparation of land registers.
12. Calculation of the area of individual plot.
13. All other works relating to technical nature.
14. Any other duty assigned in public interest.